सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस

अपील संख्याः 04/17 निर्णय दिनांक 19.06.2018

1. किशन सिंह पुत्र दलपत सिंह जाति राजपूत निवासी हिराई तहसील श्रीकोलायत जिला बीकानेर।

—अपीलांट्स

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, कोलायत।

—रेस्पोडेन्ट्

अपील विरुद्व निर्णय दिनांक 28—03—2017
अतिरिक्त जिला कलेक्टर(प्रशासन), बीकानेर

उपस्थितः—

1. श्री उमाशंकर व्यास, अभिभाषक अपीलांट
2. नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) बीकानेर के निर्णय दिनांक 28—03—2017 जिसके द्वारा अपीलांट् की अपील निरस्त की गई है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निर्णय की तारीख में नहीं है ना ही कोई स्पीकिंग आर्डर है। अधिनस्थ न्यायालय ने सिगेदार की रिपोर्ट पर आदेश पारित किया गया है। जबकि सिगेदार की रिपोर्ट पर

ना तो अपीलांट की सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया ना ही साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान किया गया। अदालत मातहत का उक्त कृत्य प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य आदेश है।

उन्होनें आगे बताया कि तहसीलदा कोलायत के समक्ष दिनांक 01—03—2014 को पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई तथा जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 22—03—2017 नियत की गई। अधिनस्थ न्यायालय ने तारीख से पूर्व ही बिना किसी न्यायोचित कारण के पत्रावली में तारीख पेशी 08—03—2017 नियत की गई जो कि रेवेन्यू कोर्ट मेन्यूअल तहत तारीख पेशी बिना किसी युक्तियुक्त कारण के परिवर्तन नहीं की जा सकती। इस बाबत् ना तो अदालत मातहत तहसीलदार, कोलायत के समक्ष किसी प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके कारण पत्रावली में पूर्व में पेशी पर ली गई। संबंधित तहसीलदार द्वारा अपना वेस्टेज इन्टरेस्ट अथवा पीठासीन अधिकारी किसी प्रभाव में होने के कारण पत्रावली निर्धारित दिनांक से पूर्व पेशी में ली जाकर दिनांक 08—03—2017 को आदेश पारित किया गया है। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर नहीं किया गया है। केवल मात्र सीगेदार की रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित किया गया है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अपीलांट का नाम राजस्व रिकार्ड में काश्तकार के रूप में दर्ज है तथा अपीलांट का किसी प्रकार का वादगत् भूमि पर नाजायज कब्जा नहीं है। पटवारी हल्का द्वारा रंजिशवश कार्यवाही की गई है। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर नहीं किया गया है तथा सरसरी तौर पर आदेश पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील दिनांक 28—03—2017 निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मेंटेनेबल अपील नहीं है। अपीलांट द्वारा जिस आदेश के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई है उक्त आदेश अपीलांट के निवास स्थान के संबंध में संशोधन आदेश करते हुए नोटिस जारी

किये जाने के संबंध में आदेश प्रसारित किये गये है। उक्त संशोधन आदेश की श्रेणी का आदेश नहीं है। अतः अपीलांट की अपील इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत प्रकरण में अपीलांट द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर(प्रशासन), बीकानेर के आदेश दिनांक 28—03—2017 के विरूद्व अपील अन्तर्गत धारा 76 भू—राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत की गई है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट की अपील इस आधार पर खारिज की गई है कि अपीलांट द्वारा जिस आदेश के विरूद्व अपील प्रस्तत की गई वह आदेश तहसीलदार कोलायत द्वारा दिनांक 08—03—2017 की आदेशिका पर इस आश्य का संशोधन किया गया है कि अपीलांट के निवास का नाम से संबंधित संशोधित नोटिस जारी किये जाने से संबंधित है। इस प्रकार का संशोधन ''आदेश'' की श्रेणी में नहीं आता है। अतः प्रकरण चलने योग्य नहीं होने से निरस्त किया जाता है।

(2) इस संबंध में हमने अधिनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों का अवलोकन किया। तहसीलदार, कोलायत की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अदालत मातहत द्वारा दिनांक 08—03—2017 को पूर्व में जारी नोटिस में अतिक्रमी किशन सिंह पुत्र दलपत सिंह जाति राजपूत निवासी हिराई के साथ अतिक्रमीत ग्राम का नाम भी हिराई दर्ज हो गया है जबकि अतिक्रमीत भूमि ग्राम नोखड़ा के खसरा नम्बर 205 तादादी 1 बीघा 10 बिस्वा है। अतः पुनः संशोधन नोटिस जारी हो तथा पत्रावली पूर्व नियत दिनांक 22—03—2017 को पेश होने का अंकन किया गया है।

(3) अपीलांट द्वारा उक्त आदेश की अपील अतिरिक्त जिला कलेक्टर(प्रशासन), बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की अपील चलने योग्य नहीं मानते हुए खारिज की गई है। इस संबंध में हमारा भी अभिमत है कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार, कोलायत द्वारा आदेश दिनांक 08—03—2017 के माध्यम से

अतिक्रमी किशनसिंह पुत्र दलपतसिंह के सही पते पर नोटिस जारी करने हेतु आदेशित किया गया है। अदालत मातहत के उक्त आदेश के प्रकरण के गुणावगुण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना है।

अपीलांट को उक्त आदेश से किसी प्रकार की कोई आपित्त थी तो अपीलांट को तत्समय अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर व्यक्त करनी चाहिए थी ना कि उक्त संशोधन आदेश की अपील प्रस्तुत करते हुए चाराजोई करनी थी। अपीलांट का उक्त कृत्य केवल मात्र मामलें को अनावश्यक रूप से लम्बित करने के अलावा अन्य कोई उद्वेश्य प्रतीत नहीं होता हैं। प्रकरण की स्थिति को दृष्टिगत् रखने से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा न्याय प्रणाली का बेजा फायदा उठाया जाकर न्यायालय का समय अनावश्यक रूप से बर्बाद किया जा रहा है। अपीलांट उक्त अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील की अपील खारिजकी जाकर अपीलाधीन आदेश अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन), बीकानेर का आदेश दिनांक 28—03—2017 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 19.06.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर